

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 25.09.15

क्रमांक एफ-20-82/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत अधिसूचित "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.09.2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.9 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जावे, अर्थात् :-

5.10 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता होगी।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1 (6) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा 7.1(7) जोड़ा जावे, अर्थात् :-

(7) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 8 में उप पैरा 8.3 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जावे, अर्थात् :-

8.4 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा औद्योगिक नीति 2004-09 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान उपरोक्त पैरा 8 के कंडिका 8.1 की तालिका के तहत औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर दिया जावेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 के कुल अनुदान की सीमा के अधिक नहीं होगी।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/ औद्योगिक नीति 2009-14/ औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत एवं संबंधित परियोजना प्रतिवेदन अनुदान अधिसूचना के तहत यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो परियोजना प्रतिवेदन अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी।

8.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत एवं संबंधित अधिसूचना के तहत अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत कंडिका 8.4 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.09.2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

नया रायपुर दिनांक 22.10.18

पृष्ठा क्रमांक एफ-20-82/2015/11/6,

प्रतिलिपि :-

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला
छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग